



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2012/फाल्गुन 23, 1933

No. 105]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2012/PHALGUNA 23, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2012

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Economic Intelligence Bureau)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2012

सा.का.नि. 141(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 178(अ) का अधिक्रमण करते हुए उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, केन्द्र सरकार एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) माननीया सुश्री न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल —अध्यक्ष

(ख) माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला —सदस्य

(ग) माननीया सुश्री न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता —सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2012 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 674/1/2005-सी.शु.- VIII]

ए. के. शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी.—अधिसूचना सं. सा.का.नि. 178(अ), दिनांक 1 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 3 मार्च, 2011 को प्रकाशित की गई थी।

G. S. R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G. S. R. No. 178(E), dated 1st March, 2011 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

(i) Hon'ble Ms. Justice Reva Khetrapal —Chairperson

(ii) Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sahai Endlaw —Member

(iii) Hon'ble Ms. Justice Mukta Gupta —Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2012.

[F. No. 674/1/2005-Cus. VIII]

A. K. SHARMA, Under Secy.

Foot Note.—The Notification G. S. R. No. 178(E), dated 1st March, 2011 was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 3rd March, 2011.